मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
संरक्षा शाखा, पुणे

संख्या. पुणे / सं. / संरक्षा परिपत्र / 38 / 10 -11

दि. 26.11.2010

सभी संबंधित
पुणे मंडल

<u>संरक्षा परिपत्र संख्या - 10 / 2010-11</u>

विषय – कोहरे के समय ली जानेवाली सावधानियाँ ।

संदर्भ – रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 98 / संरक्षा (ए एडं आर) और महाप्रबंधक संरक्षा अभियान दि. 26.10.2010 के पत्र संख्या – एस एफ टी / एस डी / 16 / 2010 – 11

****

कोहरे का मौसम प्रारंभ हो रहा है और सुचारू गाड़ी संचलन में रूकावट आ सकती है । रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका जारी की गई है । मंडल के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा गाड़ी गुजारने, गाड़ी चलाने के मार्गदर्शन हेतु अनुपालन किया जाए ।

क) कोहरे का मौसम प्रारंभ होने के पहले ली जानेवाली सावधानियां ।

रेलपथ को मजबूत करने के लिए कोहरे के मौसम के पहले कार्य को पूरा करना : -

i.	स्टेशनों, पेट्रोलमेन आदि के लिए पटाखों की पर्याप्त आपूर्ति की गई है यह सुनिश्चित करना ।
ii.	दृष्यता बोर्ड पर रेलपथ के आर पार पीली मार्किंग अवश्य करना (या दोहरे दूर सिगनलों के दुर सिगनल के मामले में)
iii.	सभी सिगनल दृष्यता बोर्ड, सीटी बोर्ड, सी / फा बोर्डो, कोहरा सिगनल पोस्ट और व्यस्त समपार फाटक जो दुर्घटनाक्षेत्र में है पेंट किया जाए तथा पीले / काली चमकीली पट्टियों को लगाया जाएं । कोहरे / ठंड का मौसम प्रारंभ होने से पहले उनकी उचित दृष्यता के लिए पुन: पेंटीग का कार्य पूरा किया जाएं ।
iv.	व्यस्त समपार फाटकों पर उठने वाले नाकों के लिए जहां आवश्यकता है पीली / काली चमकीली सिगनल पट्टियों की व्यवस्था की जाएं ।
v.	क्षेत्रीय रेलवे प्रथम रोक सिगनल के 50 / 75 मीटर्स पर (9 एल इ डी के साथ) रेलपथ पर ब्लिकर लाईटस उपयोग या प्रथम रोक सिगनल के 50 / 75 मीटर्स पर तुरंत चमकनेवाले बोर्ड (स्वंय चमकनेवाले) की जरूरत को देखकर व्यवस्था करेगी ताकि लोको पायलटों को आनेवाले प्रथम रोक सिगनल के स्थान की सूचना मिले ।
vi.	आवश्यकता के अनुसार कोहरे प्रभावित क्षेत्रों पर चलनेवाले लोकोमोटिव पर कोहरा बत्तियों की धीरे-धीरे / क्रमश: व्यवस्था की जाएं ।
vii.	क्षेत्रीय रेलवे इस संबंध में विचार कर सकती है कि एस एल आर में लगाए गए लाल सिगनल को एल ई डी के लाल सिगनलों से बदला जा सकता है । स्वीच बटन गार्ड के पास उपलब्ध रहेगा ताकि वह उस लाईट को स्वचलित क्षेत्र में गाड़ी रूकने पर ऑन कर सकें तथा असाधारण परिस्थिति में अर्थात कोहरा आदि में प्रचालितकर सके । यह व्यवस्था जलती बुझती लाल टेल लैम्प के अतिरिक्त है ।

ख) कोहरे के समय मौसम में स्टेशन मास्टर द्वारा की जानेवाले कार्रवाई -

जब दी गई शर्तो के अंतर्गत व्यवस्था किए गए दृष्यता परिलक्ष्य (या निर्धारित किया गया वी टी ओ) स्टेशन मास्टर को स्पष्ट दिखता नहीं है तो वह निम्नानुसार कार्रवाई करेगा ।

क)	जब कोहरे के कारण दृष्यता कम है और वी टी ओ भी जल रहा है, सिगनल पध्दति सिगनलिंग सेक्शनों में रात के समय, साथ ही साथ दिन के समय सिगनल जल रहें है, सुनिश्चित करना ।
ख)	गाड़ी को लाईन क्लियर देने के पहले दृष्यता परिलक्ष्य (वी टी ओ) को देखना । (पालन करना)
ग)	निर्धारित किया दृष्यता परिलक्ष्य (वी टी ओ) दृष्य नहीं हो रहा है ऐसे समय निम्नानुसार कार्रवाई की जाएं । - पैरा के अंतर्गत निर्धारित की गई स्थितियों में पटाखों को रखने के लिए पटाखों के साथ कोहरा सिगनलमैन को तैनात करना । आनेवाली गाड़ी के लोको पायलट के लिए इस सिगनल की जगह प्रथम सिगनल से 270 – 280 मीटर्स पर (इ) (ii) अग्रिमरूप से सूचित करना । - कोहरा सिगनलमैन की व्यवस्था करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग सभी प्रकार के प्रयास करेंगा । - आनेवाली गाड़ी के लिए लाईन क्लियर देने के पश्चात नॉन – आइसोलेटड लाईनों पर शंटिग नहीं करना चाहिए ।
घ)	सा. नि. 5.18 के अनुसार दी गई व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन किया जाएं और प्रस्थान के आगे गाड़ी न लेकर जाए तथा मध्यवर्ती प्रस्थान सिगनल के आगे जहां ये मौजूद है, स्टेशनों पर अग्रिम प्रस्थान तक जिससे इस क्षेत्र में ट्रैक सर्किट न हो ।

ग) पटाखों को रखने के बारें में स्पष्टीकरण :-

i. जहां पटाखे रखना आवश्यक / जरूरी नहीं है ।

निम्नलिखित परिस्थितियों में लोको पायलट के लिए “रोक सिगनल स्थान” दर्शाने / सूचित करने के लिए पटाखें रखना आवश्यक नही है : -

क)	सेक्शनों में जहां लोको पर वास्तविक कोहरा सुरक्षित उपकरण लगाया गया है ।
ख)	जहां उचित पूर्व – चेतावनी दी गई है अर्थात स्टेशनों पर जहां दोहरे दूरस्थ सिगनलों की व्यवस्था की गई हैं ।
ग)	स्टेशन सेक्शन में जहां अधिकतम गति 15 कि मी प्र घं. तक अनुमति दी गई, के बाबजूद स्टेशनों पर जहां पूर्व चेतावनी सिगनल उपलब्ध नहीं है , परंतु चेतावनी बोर्ड मौजूद है ।
घ)	जहां सेक्शन की गति 50 कि. मी. प्रं. घ. से कम है (परंतु 15 कि मी प्र. घ. से अधिक) और स्टेशन का प्रथम सिगनल रोक सिगनल नहीं है ।
च)	स्वचलित सिगनलिंग क्षेत्र में ।
छ)	“ फाटक सिगनल पर ”
ज)	प्रस्थान सिगनल पर
झ)	रेलपथ / उपरी उपस्कर / सिगनल के अनुरक्षण के कारण साईटों पर अस्थाई गति प्रतिबंध लागू करने पर ।

ii. जहां पटाखें रखना आवश्यक है

स्टेशनों पर प्रथम रोक सिगनल के 270 मीटर दूरीपर निम्नानुसार पटाखें रखे जाएं :-

क)	‘क’ श्रेणी स्टेंशनों पर जहां चेतावनी बोर्ड / सिगनल मौजूद है - निकटवर्ती सिगनल के कुछ दूरी पर पटाखें रखे जाए और चेतावनी सिगनल से नहीं ।
ख)	‘ख’ श्रेणी स्टेंशन पर जहां लोअर क्वाड्रैंट सिगनलों से सुसज्जित है - आउटर सिगनल के पहले पटाखें रखें जाए ।
ग)	बहुआयामी पहलू सिगनलिंग में जहां एक दूरूस्थ स्गिनल लगाया गया है - निकटवर्ती सिगनल के पहले पटाखें रखें जाएं ।

टिप्पणी - स्टेशनों पर केवल कोहरा सिगनल पोस्ट की व्यवस्था की जाए जहां पटाखें रखने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए इस तरह के पोस्ट उपर्युक्त दर्शाइ स्थितियों के आधार पर स्थानांतरित की जाएं ।

घ) लोको पायलटों द्वारा ली जानेवाली सावधानियां ।

कोहरे के समय लोको पायलट के द्वारा गाड़ी के गति के संबंधि करने कि कार्रवाई ।

i.	कोहरे के समय जब कोहरे के कारण दृष्यता साफ न होने के कारण लोको पायलट अपना फैसला नहीं कर पा रहा है, ऐसे समय वह गाड़ी जिस गति पर नियंत्रित कर सकेंगा उस गति पर गाड़ी चलाएंगा, ताकि किसी भी अवरोध के पहले गाड़ी रोकी जा सके, यह गति किसी भी हालत में 60 कि. मी. प्र. घ. से अधिक नही होनी चाहिए ।
ii.	समपार फाटक की ओर आनेवाली गाड़ी का लोको पायलट, फाटकवाला (जहां तैनात है) और सड़क उपयोगकर्ताओं को सचेत करने के लिए लगातार सीटी बजाएगां ।
iii.	निरपेक्ष ब्लॉक सिस्टम में उपरोक्त मद (i) में दर्शाए अनुसार लोको पायलट के फैसलें के अनुसार गति रहेंगी और निम्नबातों के अनुसार अधिक नहीं रहेंगी ।
क)	स्वचालित रोक सिगनल हरा होने पर गुजर जाने के पश्चात गति 60 कि. मी. प्र. घं. से अधिक नहीं रहेंगी ।
ख)	स्वचलित रोक सिगनल दोहरा पीला होने पर गुजर जाने के पश्चात गति 30 कि. मी. प्रं. घ. से अधिक नहीं रहेगी ।
ग.	स्वचलित रोक सिगनल पीला होनेपर गुजर जाने के पश्चात लोको पायलट आगे प्रतिबंधित गति से चलेगा ताकि गाडी अगले रोक सिगनल आसानी से रोकी जा सकें ।

टिप्पणी -

i. सा. नि. 4.16 (i) (ख) के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार अनुमोदित डिजाइन की एक रेड टेल लैम्प दिन या रात के समय जलती बुझती लाल रोशनी प्रदर्शित करेंगी जो कोहरे के मौसम में आखरी वाहन दर्शाने के लिए जांच उपकरण होगा तथा यह आखरी वाहन पर प्रकाशित रहेगा ।

ii. प्रत्येक स्टेशन का प्रथम रोक सिगनल स्थान किलो मीटर चार्ट प्रत्येक लोको पायलट को कार्ड के रूप में जारी किया जाएं या संचलन समय सारणी में दिया जाए ।

E. पुणे मंडल के पुणे - लोनावला सेक्शन को मंडल का कोहरा प्रभावित सेक्शन निश्चित किया गया है । सभी मंडल रेल प्रबंधकों को संबोधित मुख्यालय का पत्र संख्या / मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय का पत्र संख्या / टि आर / जी / और एस आर / जनरल / 102 दि. 25.11.2010.

क्षेत्रीय रेलवे द्वारा संबंधित सा. नि. के उसके सहायक नियमों में इन अनुदेशों को समाविष्ट किया जाएगा और तदनुसार उसका अनुपालन किया जाएगा ।

(सु. रविचंद्रन)

मंडल संरक्षा अधिकारी / पुणे